न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 510/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
लाखाराम पुत्र सुरताराम निवासी हीरानगर, तह0 नोखडा जिला बाडमेर		**राज0 राज्य जरिये तहसीलदार नोखडा (बाडमेर)**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी आदेश दिनांक 29.8.22

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनिया, अशोक कुमार वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27/05/2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.22 के द्वारा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम हीरानगर के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के खसरा नम्बर 678/2 की भूमि में से 0.0849 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। उक्त भूमि बेशकिमती व दो फसली कब्जाकाश्त कृषि भूमि है। जिसके चारों तरफ नेखमबंदी करके पुरानी तारबंदी की हुई है। मौके पर रास्ता चालू नही है, बल्कि इसके सेढासेढ स्थित खसरा नं0 679/1 में रास्ता कायम है। तहसीलदार केवल भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करके रास्ता घोषित करवा सकता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आशय जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उसे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी अपीलाधीन आदेश की आड में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जबरदस्ती रास्ता निकालने व नेखमबंदी तोडने को आमदा है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि तहसीलदार गुडामालानी के प्रस्ताव पर संबंधित खातेदारान/विप्रार्थीगण को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार गुडामालानी से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है। अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब/एतराज प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसे साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.22 को अपीलांट के ख0नं0 678/2 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर